फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**नाथूलाल रेबारी** विपक्षी :–**राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :–**103/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :–**2025/354**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 09.04.2026 पत्रावली पेश हुई। राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं का नाम नाथूराम गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, आयकर विभाग के पैन कार्ड की फोटोप्रति, वोटर आईडी की फोटोप्रति, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम नाथूलाल पिता मांगीलाल होना जाहीर होता है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार भी नाथूराम पिता मांगीलाल एवं नाथूलाल पिता मांगीलाल को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तवित नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी को ग्रामीण परिवेश में लोग नाथूराम के नाम से पुकारते थे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में नाथूराम अंकित हो गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नाथूलाल है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:57 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 176, 177, 178, 256 पर दर्ज आराजीयात भूमि में प्रार्थी का नाम नाथुराम पिता मांगीलाल के बजाय नाथूराम उर्फ नाथूलाल पिता मांगीलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:00:57 IST
Reason: SelfAttested